



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092020-222026
CG-DL-E-26092020-222026

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2965]
No. 2965]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 25, 2020/आश्विन 3, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 25, 2020/ASVINA 3, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2020

का.आ. 3317(अ).—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा, SO 3566 (ई)) दिनांक ३०.०९.२०१९, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, असाधारण, भाग २, धारा ३, उप-धारा (ii) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, १९५६ (१९५६ के ४.09 की धारा ३ क की उपधारा (१) के तहत जारी)) (बाद में उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित), केंद्र सरकार ने एनएच 50 के रखरखाव, प्रबंधन और संचालन के निर्माण (चौड़ीकरण / फोर लेनिंग, इत्यादि) के लिए उक्त अधिसूचना में निर्धारित की गई भूमि को अधिग्रहित करने का अपना ऐलान किया। कर्नाटक राज्य में चित्रदुर्ग जिले में 299 से किलोमीटर 418.75 (विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का कार्यालय) भूमि के खिंचाव पर और जबकि उक्त अधिसूचना का पदार्थ "प्रजावनी" और "टाइम्स ऑफ इंडिया" दोनों दिनांक 03.01.2020 में प्रकाशित हो चुका है; उक्त अधिनियम की धारा 3 क की उपधारा (3) के अधीन;

और जबकि आपत्तियां प्राप्त की गई हैं और सक्षम अधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया है और उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है;

और जबकि, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है;

अब, इसलिए, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग में, केंद्र सरकार यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त उद्देश्य के लिए अधिग्रहण किया जाना चाहिए;

और आगे, उक्त अधिनियम की धारा 3 डी की उपधारा (2) के अनुसरण में, केंद्र सरकार ने घोषणा की कि सरकारी गजट में इस अधिसूचना के प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट भूमि केंद्र सरकार में पूरी तरह से निहित होगी।, सभी एन्कम्ब्रेन्स से मुक्त।

अनुसूची

कर्नाटक राज्य के चित्रदुर्गा जिले में NH50 के कि.मी. 299 से कि.मी.418.75 (ऑफिस ऑफ़ स्पेशल लैंड एक्वीजीशन अफसर नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया होस्पेट) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: कर्नाटक		जिले का नाम: चित्रदुर्गा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: चित्रदुर्गा				
	गांव का नाम: मदनायकणहल्ली				
1	126/7	निजी	ड्राई	0.0101	म क राजप्पा S/O कल्लप्पा (१२६/ ७)
2	126/9,11	निजी	ड्राई	0.0151	बी थिप्पेस्वामी S/O उमापतियप्पा (१२६/ ९)
3	126/9,11	निजी	ड्राई	0.0152	बी थिप्पेस्वामी S/O उमापतियप्पा (१२६/ ११)
4	129	निजी	ड्राई	0.0303	स ग कुसुमा W/O थिप्पेस्वामी चेतन S/O थिप्पेस्वामी पवित्र डी ओ थिप्पेस्वामी प्रियंका डी ओ थिप्पेस्वामी सविता म ग मदर स ग कुसुमा (129)
5	42/5	निजी	ड्राई	0.005	स ग मल्लिकार्जुनाइअह S/O स ग जायँना (४२ ५)
	गांव का नाम: मल्लपुरा				
6	Kh. 45/36/2	निजी	साइट	0.0139	थिप्पम्म W/O सन्ना बोरा (क नो ४५/ ३६/ २)

	गांव का नाम: तुरुवानुरु				
7	533	निजी	ड्राई	0.0707	टी गुरप्पा S/O लेट थिप्पाया: (५३३/३)
8	533	निजी	ड्राई	0.0707	थिप्पम्मा W/O बसप्पा (५३३/१)
			कुल	0.2310	

[फा. सं. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3A3/3D3]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 25th September, 2020

S.O. 3317(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, S O 3566(E) dated.30.09.2019, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH50 on the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition Officer National Highways Authority of India Hospet) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Prajavani” and “Times of India” both dated 03.01.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH50 in the stretch of land from Km. 299 to Km. 418.75 (Office of Special Land Acquisition Officer National Highways Authority of India Hospet) in the district of CHITRADURGA in the state of KARNATAKA.

State: KARNATAKA		District: CHITRADURGA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Chitradurga				
	Viilage: Madanayakanahalli				
1	126/7	Private	Dry	0.0101	M K RAJAPPA S/O KALLAPPA 126/7

2	126/9,11	Private	Dry	0.0151	B THIPPESWAMY S/O UMAPATHIYAPPA 126/9
3	126/9,11	Private	Dry	0.0152	B THIPPESWAMY S/O UMAPATHIYAPPA 126/11
4	129	Private	Dry	0.0303	S G KUSUMA W/O THIPPESWAMY, CHETHAN S/O THIPPESWAMY, PAVITHRA D/O THIPPESWAMY, PRIYANKA D/O THIPPESWAMY, SAVITHA M/G MOTHER S G KUSUMA 129
5	42/5	Private	Dry	0.005	S G MALLIKARJUNAIAH S/O S G JAYANNA 42/5
Village: Mallapura					
6	Kh. 45/36/2	Private	Site	0.0139	THIPPAMMA W/O SANNA BORAIAH K.NO. 45/36/2
Village: Turuvanuru					
7	533	Private	Dry	0.0707	T GURAPPA S/O LATE THIPPAIAH, 533/3
8	533	Private	Dry	0.0707	THIPPAMMA W/O BASAPPA, 533/1
			TOTAL	0.2310	

[F. No. NHAI/PIU-CTA/HST-CTA/NH-50/3A3/3D3]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.